# ई–नर्सरी सॉफ्टवेयर

हरियाली मिशन द्वारा कृषि वानिकी योजनाओं के अनुश्रवण एवं आंकड़ों के संधारण हेतु ई–नर्सरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे www.forestonline.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। हरियाली मिषन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में लाभुकों के डेटाबेस, विभागीय पौधशालाओं एवं इनमें उपलब्ध एवं वितरित प्रजातियों की स्थिति की जानकारी तथा किसानों/लाभुकों के योजनाओं में भुगतान की स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे विकसित किया गया है।

इस सॉफ्टवेयर में किसान ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं। इस डेटाबेस की मदद से किसानों से जुड़ी सभी जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। सभी किसानों को एक अलग पंजीयन संख्या दी गयी है जिससे उनकी पहचान होती है।

इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई–नर्सरी के बेवसाईट पर जाकर New Registration पर क्लिक करके उसके सभी field को भरकर सुरक्षित करेंगे। अगर किसानों को एक से ज्यादा योजनाओं के लिए आवेदन करना हो तो वे Apply for New Scheme पर जाकर दूसरे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बाद में उन्हें अपनी विवरणी में कुछ बदलाव करना हो तो Update Profile पर जाकर उसे अद्यतन कर सकते हैं।

इस बेवसाईट पर Species Gallery भी दिया हुआ है। इसमें पॉप्लर एवं अन्य प्रजातियों की पहचान करने के लिए उसका फोटो भी अपलोड किया गया है। इस बेवसाईट पर login करने के बाद विभाग के सभी पौधशालाओं की प्रविष्टि की जाती हैं एवं उसमें मौजूद विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की जानकारी भी भरी जा सकती है।

नर्सरी भंडार में 71 विभिन्न प्रजातियों के पौधों की जानकारी की प्रविष्टि की जा सकती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्यूब के आकार (जैसे 10cmx20cm, 15cmx25cm, 20cmx30cm, 30cmx40cm एवं स्टंप ) की जानकारी अलग–अलग प्रविष्टि के आधार पर की जा सकती है। विभागीय पौधशालाओं में पौधों की स्टॉक से लेकर उसके खपत तक की जानकारी इस सॉफ्टवेयर से प्राप्त किया जा सकता है।

किसान/लाभुक अपने पसंद के पौधों की मांग कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर किसानों को पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। पौधे उपलब्ध कराने के बाद पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर क्रमशः प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त का भुगतान किया जाता है।

इसमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

रिपोर्ट (Report) में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है :–

1. पौधशाला में पौधों की वर्तमान स्थिति।
2. पंजीकृत किसानों की जानकारी।
3. स्वीकृत किसानों की जानकारी।
4. किस्त निरीक्षण रिपोर्ट।
5. किस्त के भुगतान की रिपोर्ट।